न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 215/2022
जीसीएमएस न0 2022/625

1. अणछी पत्नी नन्दलाल जाति डांगी आयु वयस्क, निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ (राज०)।

.... प्रार्थिया

बनाम

1. भोलीराम पिता तुलसा जी जाति डांगी आयु वयस्क, निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ (राज०)।
2. मांगीलाल पिता भैरूलाल जाति डांगी आयु वयस्क, निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ।
3. केशुराम पुत्र राधाकिशन जाति धाकड़ आयु वयस्क, निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज०)।
4. कौशल्या पुत्री निर्भयराम जाति धाकड़ आयु वयस्क, निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ (राज०)।
5. मांगी बाई पत्नी निर्भयराम जाति धाकड़ आयु वयस्क, निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ (राज०)।
6. रामनारायण पिता निर्भयराम जाति धाकड़ आयु वयस्क,निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ(राज०)।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा निवासी निम्बाहेड़ जिला चित्तौडगढ़ (राज०)। वगैराह

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री अनुराग ओझा – अधिवक्ता प्रार्थिया
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

दिनांक 25.09.2024

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:53 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि [illegible] आराजी नम्बर 311 रकबा 1.1800 हैक्टेयर ग्राम सतखण्ड[illegible] में [illegible] है जिस पर प्रार्थीया का मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज है। [illegible] की तरफ सरकारी बिलानाम भटवेड भूमि स्थित है, जिससे प्रार्थीया [illegible] कृषि आराजीयात पर [illegible] रफद करती है। प्रार्थीया के आराजीयात के उत्तर व[illegible] तरफ विपक्षी कमांक 1 व [illegible] कृषि आराजीयात स्थित है, जिनके आराजी नम्बर 310 व 308 व 300 है, प्रार्थीया एवं विपक्षी कमांक 1 व 2 अपनी कृषि भूमि पर इसी बिलानाम भटवेड भूमि से आमद रफद करते चले आ रहे है।

Scanned by CamScanner

2. विपक्षी कमांक 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर प्रार्थीया के पूर्व की तरफ स्थित बिलानाम भटवेड भूमि को जो रास्ते के रूप में प्रयोग की जा रही हे को विपक्षी कमांक 3 से 6 के नाम पर सेटलमेंट के समय दर्ज करवा दी, जवकि विपक्षी कमांक 3 से 6 की भूमि नहर के पास में है, जहां पर उनका कब्जा है। पुराने राजस्व नक्शे में भी उक्त आराजी नम्बर 341 जिसका साविक आराजी नम्बर 529 था, यहां नहीं थी, परन्तु विपक्षीगणों ने विपक्षी संख्या 7 व सेटलमेंट कर्मचारियों से मिली भगत कर उक्त आराजी नम्बर 341 को नवीन राजस्व नक्शे में गलत जगह पैमूद कर दी है, जिसे प्रार्थीया इस आवेदन पत्र के माध्यम से दुरूस्त कराने की अधिकारी है।

1. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलव किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से उनके अधिवक्ता श्री विशाल कुमावत ने वकालतनाम पेश किया । विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता को पूर्व में कई अवसर देने के उपरान्त जवाब बन्द किया गया।1/1 से 1/11 वावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत की और निवेदन किया की आराजी नं. 311 रकबा 1.18 है० (जो प्रार्थीया के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं) पर मौके पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है।प्रार्थीया की आराजी नं. 311 रकबा 1.18 है० पर पहुँच मार्ग हेतु वर्तमान आराजी नं. 341 से उपयोग किया जाना कथन किया है, जिसे प्रार्थीया रिकार्ड में बिलानाम दर्ज करवाना चाहती है ताकि प्रार्थीया को रास्ता/पहुँच मार्ग उपलब्ध हो सके।मौके पर रिकार्ड एवं मौका स्थिति का अवलोकन करने से पाया कि प्रार्थीया द्वारा अपेक्षित आराजी नं. 341 रकबा 0.55 है० गत साबिक आराजी नं. 521 से बना है। पूर्व में गत साबिक आराजी नं. 521 बिलानाम सरकार दर्ज था, जिसमें से कई व्यक्तियों को भूमि आवंटन होकर भू-प्रबन्ध दौहरान नवीन नक्शे में तरमीम हो चुके है। मौके पर गत के मुकाबले वर्तमान में प्रार्थीया की आराजी नं. 311 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई। प्रार्थीया द्वारा रास्ते हेतु सरकारी दर्ज करने हेतु वर्णित आराजी नं. 341 रकबा 0.55 है। वर्तमान में श्री केशुराम पिता राधाकिशन वगैराह प्रतिवादीगणों के नाम से सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है (नकल संलग्न है)। प्रार्थीया वादी द्वारा चाही गई इमदाद धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत (रास्ता कायमी/दिलाने हेतु) प्रस्तुत की गई है, जो धारा 251 ए के तहत दिया जाना उचित होगा। मौके पर प्रार्थी एवं प्रतिवादी गण के प्रतिनिधियों को धारा 251 ए के तहत रास्ता हेतु आदेश करने बाबत् समझाईश की गई।

3. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि [illegible] है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:53 IST
Reason: SelfAttested

136. Correction of errors.- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Scanned by CamScanner

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थनापत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीया ग्राम सतखण्डा की आराजी नं. 311 रकबा 1.18 है० पर पहुँच मार्ग हेतु वर्तमान आराजी नं. 341 से उपयोग किया जाना कथन किया है, जिसे प्रार्थीया रिकार्ड में बिलानाम दर्ज करवाना चाहती है ताकि प्रार्थीया को रास्ता/पहुँच मार्ग उपलब्ध हो सके किन्तु उक्त प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा चाही गई इमदाद धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत (रास्ता कायमी/दिलाने हेतु) प्रस्तुत की गई है, जो धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिया जाना उचित होगा। अतः प्रकरण धारा 136 का नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner